[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं.72/2019 केन्द्रीय कर

नई दिल्ली,13 दिसंबर,2019

सा.का.नि.____(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 46 के छठे परंतुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित करती है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका एक वित्तीय वर्ष में आवर्त पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक हो, द्वारा किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को जारी किए गए किसी बीजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् बी2सी बीजक कहा गया है) पर त्वरित प्रतिउत्तर (क्यू आर) कोड होगा:

परंतु जहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से प्रापक को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर (क्यूआर) कोड उपलब्ध कराता है, जिस गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर मे भुगतान का प्रतिसंदर्भ अंतर्विष्ट हैं, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी ऐसा बी 2 सी बीजक, को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर रखने वाला समझा जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, **2020** को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 20/13/01/2019-जीएसटी]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार